प्रथम अध्याय
शोध परिचय

प्रस्तावना

शिक्षा मानव के व्यक्तित्व निर्माण की प्रथम सारणी है। जिस पर चढ़कर वह उन्नती के शिखर की और अग्रसर होता है । विचारों की परिपक्वता हेतू शिक्षा रूपी भवन की नीव सुदृढ होनी चाहिये। जैसे कमजोर नीव वाली इमारत समय के झोके से ढह जाती है, वैसे ही सुनियोजीत शिक्षा के बिना बिन जड़ वाले वृक्ष की भांति अर्धशिक्षित मानव धराशायी हो जाता है। दुर्भाग्यवश यही स्थिति स्वतंत्र भारत में शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी की हुई है। किसी भी राष्ट्र की उन्नती वहा की शिक्षा तथा स्वास्थ की समुचित व्यवस्था पर निर्भर करती है।

शिक्षा को उद्देश्यपूरक और उपयोगी बनाने के लिए उसमें समयानुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है। जिससे बालक एवं बालिकाए राष्ट्रीयान से अपनी भूमिका सकूशल निभा सके शरीर तथा मन और बुद्धी का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। गत् 55 वर्षों में शिक्षा के विकास के लिए अथक प्रयास किये गये किन्तू शिक्षा के ढॉचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। भारत में शिक्षा का स्तर बराबर गिरता चला गया, राष्ट्रीय शिक्षा निती के अंतर्गत ''बाल केन्द्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। ऑपरेशन ब्लेकबोर्ड के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गयी लेकिन निरिक्षण एवं अनुश्रवण से पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध साधनों का समूचित उपयोग नहीं होता है। इस दृष्टीकोण से वास्तविक शिक्षा वह है जो भौतिक सांस्कृतिक आर्थिक व सामाजिक व्यवहार में समन्वय एवं सहयोग प्रस्तावित करके व्यक्ति को चरित्रवान श्रमसाध्य व स्ववलंबी बनाए वर्तमान संबंध में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर प्रदर्शन प्रभाव के कारण प्रश्नचिन्ह लगाया गया है । जिसके कारण शिक्षा आधूनिक स्वरूप संशय के घेरे में आ जाता है। शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की भूमिका पर प्रदर्शन प्रभाव के कारण प्रश्नचिन्ह लगाया गयाहै जिसके कारण शिक्षा आधूनिक

का कारण मानव व्यवहार में मूल्य दुविधा एवं अस्थिरता है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चरित्र सामाजिक नैतिकता के साथ–साथ शैक्षिक पर्यावरण एवं भौतिक वातावरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड रहा है।

कुछ सर्वेक्षण से यह पता लगता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। जो 6करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनमें साढे तीन करोड़ लडकियां है। और ढाई करोड़ लडके हैं स्कूल के बाहर के यह लडके मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाती श्रेणी से तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जैसे बिहार उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, तथा मध्यप्रदेश आदि राज्यों से है। बाकी राज्यों में भी स्कूल के बाहर के ऐसेच बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से है।

शिक्षा के विकास के साथ–साथ इन राज्यों ने यह भी सिद्ध किया है कि शिक्षा का विस्तार गरीबी से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है। शिक्षा सदियों से चली आ रही है रूढिवादिता को समाप्त कर सकती है ।

1.1 शिक्षा का मूलभूत अधिकार

शिक्षा प्राप्त करना मानव का जन्मजात अधिकार है। जब हम स्वतंत्र भारत में शिक्षाकी पुनर्रचना की बात सोचते है तब हमारा ध्यान सर्वप्रथम इस तथ्य की ओर जाताहै कि शिक्षा रोटी कपडा और मकान के पश्चात मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उत्तम नागरिक बन सकता है। समय–समय पर विभिन्न समितियों और आयोगो ने इस स्थिति पर विचार किया और अपने सुझाव दिये।1968 की शिक्षा नीति में कहा गया है कि अनुच्छेद 45 में दिए गए नीती निधरिक सिद्धान्तों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम एवं प्रयास किये जाने चाहिये। 1997 के केन्द्र सरकार ने इस तथ्य पर विचार करने के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति गठित की थी। इस समिति ने स्पष्ट रूप से संतुष्टि की 14 वर्षो तक

की आयु के हर बच्चे की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को संविधान में संशोान करके मूलभूत अधिकार बना दिया जाए। समिति ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से यह कहे कि हर उस नागरिक का माता या पिता है, यह मूलभूत कर्तव्य होगा कि वहअपने बच्चों के शिक्षा प्राप्ती के अवसर प्रदान करें यदि यह परिवर्तन होगा तो निश्चितरूप से अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन करना पडेगा।

1997 में राज्य सभा में जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था,इसे सभी स्तरों पर सम्पत्ती तथा समर्थन मिला इसमें यह सुझाव दिया गया कि 8 वर्ष तक के बच्चो के संबंध में अनुच्छेद 45 कि व्यवस्था व प्रावधान को किसी भी प्रकार कम न किया जाये और उसे वैसा ही रखा जाए राज्यों के अपने नियम बनाने के अधिकार भी किसी प्रकार से सीमित न हो । 6वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रति राष्ट्र केउत्तरदायित्व का निर्वाह अवश्य होना चाहिये। माता–पिता को अनावश्यक रूप से अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना के लिए नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को गतिशिलता देनी चाहिए। उसे ऐसा बनाना होगा जिससे वह कार्य करने वाली व्यवस्था बने।

1.2 सबके लिए शिक्षा

मार्च 1990 में थाईलैंड में आयोजित सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन में एक घोषणा पत्र द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रो और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा (स.लि.शि.) का लक्ष्य पुरा करने के लिए कारगर उपाय करने की मांग भी की गयी। शिक्षाके बारे में विश्व घोषणा पत्र में स्वीकृत परम लक्ष्य सभी बच्चो युवाओं और प्रौढो के लिए ज्ञानार्जन कि बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना है ये आवश्यकता इस प्रकार है :–

1. ज्ञान कौशल मुल्य और मनोवृत्ति जैसे बुनियादी ज्ञानार्जन की विषयवस्तु
2. साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति अंकज्ञान और समस्या समाधान जैसे ज्ञानार्जन के अनिवार्य कैशल

इसके हेतू आवश्यकता को पूरा करने के लिए स.लि.शि.घोषणापत्र में बुनियादी शिक्षा के व्यापक स्वरूप को ध्यान में रखा गया है जिससे औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा और मुक्त शिक्षा व्यवस्था शामिल है ये सभी माध्यम बच्चों और बड़ो तक बुनियादी शिक्षा पहुंचने के प्रयास है।

1.3 सबके लिए शिक्षा के उद्वेश्य और लक्ष्यः

घोषणा और ज्ञानार्जन संबंधी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य की रूपरेखा पर देश में शिक्षा निती निर्माण के सर्वोच्च निकाय 'केन्द्रीत शिक्षा सलाहकार परिषद' ने 1991और 1992 में विचार किया या, के शि.स.ब. ने माना कि स. लि.शि. संबंधी विश्व घोषणा पत्र हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप वर्ष 1986 में रा.शि.नी में प्रारंभिक शिक्षा को दी गयी प्राथमिकता और अभिपुष्टि ही थी। के शि.स.प घोषणा पत्र का समर्थन किया और रा.शि. की 1986 के माध्यम से शुरू किया गया प्रतिक्रियाओं की ओर अधिक बल प्रदान करने की मांग की के शि.स.प. ने सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने साधन बढाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा निती में बनाये गये तथा के शि स व द्वारा समर्थीत लक्ष्यों उद्देश्यों और कार्यनितीयों की अनुवर्ती पंचवार्षिकयोजना प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है। इन लक्ष्यों का आठवी पंचवर्षीय योजना में भी अनुसरण किया गया था। इसमें वाल्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने में योजना शुरू करना और राष्ट्रीय साक्षारता मिशन के तत्वावधान में साक्षरता अभियान चलाना भी शामिल था। इन लक्ष्यों को 1997 से 2002 वाणी चालू पंच वार्षिक योजना में भी अनुपालन किया जा रहा है।

1.4 प्रारंभिक शिक्षाका सार्वभौमिकरण (UEE)

प्रा.शि.के सार्वव्यापिकरण के उद्देश्यों को वर्ष 1950 से एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण (UEE) से तात्पर्य 14 वर्ष तक कि आयू तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उनकी सार्वभौतिक भागीदारी और अधिनय के न्यूनतम स्तर की सार्वभौम उपलब्धी का एक संश्लेषणात्मक कार्यक्रम है। इस संबंध में सभी लक्ष्यों सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। स.लि.शि. के अंतगर्त निरक्षाता उन्मूलन शिक्षा सातत्य व प्रारंभिक शिक्षा मिशन की स्थापना है । इसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया गयी इस मिशन का उद्देश्य 21बी शताब्दी से पहले 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है।

1.5 सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य :

1. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभैमिकरण करना।
2. सभी बालक और बालीकाओं को प्राथमिक शिक्षा के द्वारा स्वयः निर्णयी आत्म विश्वासी आत्मसम्मानी और संपूर्ण मानव बनाना है।
3. प्रस्तुत 65 प्रतिशत साक्षरता को वर्ष 2005 तक 85 प्रतिशत प्राप्त करना और उसे 100 तक बढाने का प्रयत्न करना।
4. महिलाओं अल्पसंख्यकों पिछडे वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए पाठशालाओं को सुलभता लाना।
5. नवीन शिक्षा शासन 1998 के द्वारा अमल. हुई शिक्षा कमेटियों और ग्राम पंचायत कमेटियों को मिलाकर शिक्षा कमेटियो और ग्राम पंचायत कमेटियों को मिलाकर शिक्षा प्रणाली बनने में भागीदारी करना।

स्वतंत्रता केपश्चात हमारे देश की आबादी भी उससे दुगूनी हो गयी है। अतः भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा का सार्वजनिकरण कोई आसान बात नहीं। करीब सब के सब प्रांत चौदह वर्ष की आयु तक के अपने बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। इसका यह अर्थ होता है कि भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिकरण को प्रधानाता दियी है। लेकिन शिक्षकों एवं शासकों के प्रयत्न मात्र से यहकाम पुरा नहीं हो सका। समाज सेवा में रूची रखने वाली संस्थायें इस ओर अधिक काम कर सकती है। समाज के शिक्षित व्यक्ति ऐसी संस्थाओं का नेतृतव करें। शोध विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होताहै कि सरकार द्वारा अनुमोदित शिक्षा व्यवस्था अनुपयुक्त और निरर्थक है। शुल्क युक्त शिक्षा सरकार ने चलाई है परन्तु निम्न आय परिवार के बच्चे को उसमें भोजन नहीं चाहते। प्राथमिक शिक्षा को मनोरंजन पूर्ण एवं रूची पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जिससें उसमें वृद्धी हो एवं विद्यालय बनाने की आवश्यकता है। जिसमें उसमे वुद्धि हो एवं विद्यालय त्याग दर न्युन हो। विद्यालय त्याग दर का अवलोकन किया जाये तब यह जान पडता है कि उसका प्रतिशत 77 है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार निर्धन परिवारों से आने वाले 76.6 प्रतिशत बच्चे दोपहर का भोजन नहीं कर पा रहा हे। जिससे प्राथमिक स्तर पर ड्रॅप आउट दर में वृद्धी ही थी। पोशाहार योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों मेंपांच लाख से अधिक सरकारी स्थानीय निकायो तथा निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के पहली से लेकर पांचवी कहा तक लगभग 11 बच्चो को लाया जायेगा यह योजना फिलहाल सनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले 2408 ब्लॉक में शुरू की गई है।

1.6 प्राथमिक शिक्षा के सुलभिकरण के लिए संवैधानिक विधीयाँ तथा राष्ट्रीय वक्तव्य

1. संवैधानिक आदेश 1950'' राज्य इस संविधान के लागूहोने से 10 वर्ष के अवधि में सभी बच्चों को जब तक वर 14 वर्ष पूरे नहीं कर पाते निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
2. राष्ट्रीय शिक्षा निती 1986 – 21 शताब्दी में पहुंचने से पहले यह 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को संतोष जनक कोटि को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करेगा।
3. उन्नीकरण निर्णय1993– चौदह वर्ष आयु पुरी करने तक देश के सभी बच्चे। नागरिक को निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हैं।
4. शिक्षा मंत्रियों का संकल्प (1998) – ''सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को मिशन के रूप में पूरा करना चाहिये। '' प्रा.शि.को सर्वसुलभ बाजार जाने के लिए समग्र तथा संकेदृित दृष्टीकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देताहै।

1.7 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वसैमिकरण के मानदण्ड :–

सार्वभौम पहुंच :–

भारत में जनसंख्या विस्फोट ने समस्त प्रयासों एवं उपलब्धियों को अर्थहिन बना दिया है। इसके कारण समाज के हर व्यक्ति को विद्यालय सुविधा देने में हम असमर्थ रहे हैं। तथापि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को को देखकर सरकार का प्रयास रहा है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा सुविधायें ऐसी जगहों पर उपलब्ध कराई जाये वहां बच्चे उसे प्राप्त कर सकें। विद्यालयी शिक्षा दिलाने के लिए दूर–दराज के क्षेत्रो में भोजन की आशा करना उतना फायदेमंद नहीं हो

सकता बालीका के बारे में यह बात विशेष रूप से सही साबित होती है। प्रा.शि. इनमें निम्न सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान है:–

1. 300 की जनसंख्या वाले बस्तीयों में 6–11 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए 1 कि.मी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान। इसके लिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रो और जनजाती संख्या वाले क्षेत्रों को विशेष छुट है।
2. 500 की संख्या वाली बस्तीयों में 11 से 14 वर्ष के बच्चो के लिए 3 कि.मी. के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान है।
3. बालीकाओं और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों सहित सभी बच्चों का सार्वाभौम नामांकन
4. पढ़ाई बीच में छोडने वाले ऐसे कार्यरत बच्चों तथा बालीकाए जो स्कूलों में नहीं जा सकते है। उनके लिए अनौपचारीक शिक्षा केन्द्र की सुविधा ।
5. अपर प्राथमिक स्तर पर बालीका की सरभागीता बढाने के लिए अतिरिक्त अवसरों हेतू पूर्व शर्त के रूप में प्राथमिक स्कूल के अपर प्राथमिक स्कूल के मौजुदा अनुपात 1:4 से 1:2 मे सुधार ।

इन सभी विकल्प से देश में देश के दुर दराज के क्षेत्र में शिक्षा पहुंचने में मददत मिलती है । कुछ राज्यो में इसमें महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया जा सकी । उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश ने शुरू किया शिक्षा गारंटी योजना ने देखा कि समुदाय कि आधारित भाग व्यवस्था कैसे अपेक्षाकृत तेज प्रगति करने में मदतगार हो सकती है। दूर दराज के वंचित बस्तीयों में प्राथमिक विद्यालय में सुधार करने के लिए जि. प्रा.शि.का (DPEP) जैसी अन्य बड़ी परियोजनाओं ने भी इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

1.8 शिक्षा पूर्णता दर में सुधार :–

पिछले अनेक दशकों से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि विद्यालय में नामांकित होने के बाद बच्चें पढ़ाई छोड़कर न जाए।

पढ़ाई छोड देने और बच्चों के उत्तरोत्तर पढते रहने के संबंध में नियमित जानकारी सभी राज्यों एकत्र नहीं की जाती है। इसलिए विद्यालय में नियमित भागीदारी स्तर और कक्षा दर कक्षा पढ़ाई परी करने के बारे में सही आकडे बताना संभव नहीं है। क्योंकि इस पर असफलता का भी प्रभाव है। यह इसलिए यह कठिन है कि क्योंकि अधिकांश राज्य प्राथमिक स्तर पर छोटी कक्षाओं में बच्चों को स्वतः अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के सिद्धान्त पर चलते हैं।

निम्नलिखित कुछ जिन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

1. नामांकन के मामले की तरह अलग–अलग राज्यो में वह कुशलता भ अलग–अलग है जिससे विद्यालय पद्धती कार्य करती है जिन राज्यों में अंतर अधिक है उनकी आसानी से पहचान की जा सकती है।
2. वर्तमान स्थिती दर्शाती है कि बालीका का अहित होता है। फिर भी अच्छी बात यहहै कि पढ़ाई छोड देने के मामले में कुछ समय से बालकों की तुलना में बालीका कि संस्था कम रही है ऐसा संभवता कुछ समय से सामान्यतः बालीका कि शिक्षा पर और विशेषतः स.लि.शि. परियोजना में इस पर विशेष ध्यान देने के कारण है।
3. कक्षा परिवर्तन दरो में सुधार करना अत्यंत जरूरी है यह समस्या और या गंभीर हो जाती है जब इसे दाखिला न लेने वाले और प्रा.शि में पढ़ाई छोड देने वाले बच्चों की समस्या के साथ देखा जाता है। यहां भी बालीका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

आदिवासी छात्रो की शैक्षिक उपलब्धियों पर शाला का प्रभाव

शाला का आकर्षक सुखद और प्रेरक वातावरण शिक्षण अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शाला में कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाओं की नितान्त आवश्यकता होती है जिनके अभाव में शाला का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप शिक्षण अधिगम भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जिले कि शाला में सिखना–सिखाना पैकेज के सफल क्रियान्वयन के लिए जिन अनुकूल परिस्थितियों तथा अधोरंचनागत सुविधाओं की उपलब्धता की बात कही गयी थी। वह अभी भी अधूरी है। शासकीय प्रशासकों के बाद भी शालाओं के शिक्षण अधिगम सामग्रीयों का पर्याप्त अभाव पाया गया । यहां तक की शामपट तथा चौक डस्टर जैसी महत्वपूर्ण सामग्री भी सभी शालाओं ने उपलब्ध नहीं थी। इन अभावों को दूर करने के लिए पुनः प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक है। ताकि सिखना सिखाना पैकेज, शोरगुल के भंवर मात्र में फंसकर न रह जाए।

छात्रों में दक्षता के विकास के लिए पाठय पुस्तकों को दक्षता आधारित बनाया गया तथा सभी शिक्षकों को दक्षता आधारित शिक्षण अधिनम बनायागया तथा सभी शिक्षकों को दक्षताआधारित शिक्षण अधिनम प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव दृष्टीगोचर हुआ।

विषय प्रवेश

1.9 आदिवासी शिक्षा :

आदिवासी प्रारंभ से ही दुरस्थ एवं निर्जन स्थानों पर निवास करते हैं। आदिवासी पर शहरी सभ्यता एवं विकास का बहुत कम सार्थक प्रभाव पड़ता है। आदिवासी में पिछडेपन का मुख्य कारण उनकी शिक्षा है। इन जनजाती का विकास करने के हेतू में आदिवासी शिक्षा के लिए प्राथमिक, माध्यमिक हायस्कूल हायर सेकेण्डरी शालाए तथा पूर्व माध्यमिक छात्रावास मैट्रीकोत्तर छात्रावास तथा आश्रम लाए

खोली गयी है। इनके अलावा आदिवासी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देने को भी व्यवस्था शासन स्तर पर किया गया है।

मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टी से यहा गोंड, भील, मोणा, मुंण्डा, आदि बाहुल्य जनसंख्या वाली जनजातीया है। लेकिन कुछ जगहों पर अल्पसंख्यक जनजातियां निवास करती है जैसे सौम्या, औन्जई इत्यादि। देश में जनजातियों के व्यक्ति अन्य समुदायों कि तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं विश्व में जनजातियों के वितरण की दृष्टी से अफ्रीका में सर्वाधिक आदिवासी जनजातियां निवास करती है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू ने भी अनुसूचित जनजाती वर्ग के विकास हेतू कार्य किये। मानव इतिहास में आदिकाल से शिक्षा का विविध भांती विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने और अपनाने के लिए तथा समय के चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसीत करता आ रहा है। हमारा देश आर्थिक व तकनीकी दृष्टी से ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जहां से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षानिती 1968 ने राष्ट्र की प्रगति में बढ़ावा देने तथा समान नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने के लिए बल दिया है। इसके आधार पर 6–14 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिका को एक किलोमीटर के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षा सर्वभौमीकरण करने का लक्ष्य था। इसमें महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। और ग्रामीण पुरूषों ने ग्रामीण स्त्रियो में शहरी क्षेत्रों के पुरूषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में बहुत बड़ा अन्तर होता है।

1986 राष्ट्रीय शिक्षा निती के अनुसार

अ. आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाए खोलने के काम को प्राथमिकता दिया जायेगा । इन क्षेत्रो में स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शिक्षा के बजट राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जायेगा।

ब. आदिवासी की अपनी संस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है । औरबहुदा उनकी बोलचाल कि भावनाएं होती है। पाठयक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तय करने में यह जरूरी है। प्रारंभ अवस्था में आदिवासी भावाओं का प्रयोग किया जाय तथा ऐसी व्यवस्था किया जाये कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके।

क. आदिवासी के सुधार के लिए बड़ी संख्या में आश्रम शालाए तथा आवासी विद्यालय खोले जावेगे।

2.0 अनुसूचित जनजातियों के लिए सवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान की धारा 366 में आदिवासी को परिभाषित किया है। और इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 29(1) 30,46,276,350,332,335,338, 340 में जनजाती के हितों की पूर्ण रूपेण सुरक्षा का प्रावधान है।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा 1950 में आदिवासी एवं आदिवासी समुदायों को अनुच्छेद 342(1) में सावधानी से उन्नती करने तथा सब प्रकार के शोषण से उसका संरक्षण करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 14 : भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधी के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारन्टी करता हे।

अनुच्छेद 15 : धर्म मूलवंश जाती या जन्म स्थान के अनुसार आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद की

कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टी से पिछडे हुए अनुसूचित जनजातियों कि उन्नती के लिए विशेष उपबंध करने में बाधक न होगी।

अनुच्छेद 16 अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी के लिए अवसर कि समानता के लिए गैरण्टी करता है। और उसके संबंध में धर्म मूलवंश जाति जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव के आधार पर वर्जित करता है। किन्तु राज्य उक्त वर्गों के व्यक्तियों के लिए यदि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो पदों के लिए आव्हान – का प्रावधान हो सकता हे।

अनुच्छेद 17 भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक कलंक या। अनुच्छेद 17 उसका निर्मुलन करता है।

अनुच्छेद 19 (15) – इस अनुच्छेद के आधार पर इन जनजातियों के सुरक्षा के लिए खण्ड (घ) (ई) अधिसूचित किया है। तभी से यह अनुसूचित 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपरोक्त सूची का सुधार किया एक्ट 1956 के अंतर्गत संशोधित की गयी। यह आदेश 1976 में पुनः संशोधित की गयी थी उनको व्यापक बनाकर पूरे राज्य में अधिसूचित किया गया। लेकिन कुछ इसके बावजूद भी क्षेत्र के आधार पर अधिसूचित है। उदाहरणार्थ कीर, पारधी जनजातियों जो सिर्फ भोपाल सीहोर और रायसेन जिले में अधिसूचित थी यह 1976 में संशोधन के उपरांत भी यथावत है।

2.1 मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधायें

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लोगों कि संख्या अधिक है। और वे राज्य के सारे क्षेत्र में बिखरे हुए हे। उनके शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक प्रावधान किये है। और ऐसी व्यवस्था किसी पर हर स्तर पर शिक्षा कि सुविधा उपलब्ध हो सके। इतिहास बताता है कि यहा कि जनजातियां पिछडो नहीं अपीतू वंचित रही हे।

प्राचीन हिन्दूस्तान में समाज का अधिकांश मात्र आरक्षित रहा क्योंकि हिन्दू में शुद्रो और स्त्रियों को शिक्षा पाने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। महाभारत में एकलव्य कि कथा यह बताती हे कि हिन्दू समाज में जनजाती के सदस्य को शिक्षा पाने का अधिकार न था। प्रयःह आदिवासी समाज दूर जंगली पहाडी या पठारी क्षेत्र में रहते है। और प्रत्येक दृष्टी से पिछडे हुए हैं।

जनजातियों को रिजले और ढक्कर बाबा मार्च 1964 में ''वन्यज्याती' कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया कि कुछ जनजातिया आज भी वनों में रहती है। वह हिंसक और मासहारी थी । आज भी कुछ जनजातियां वैसे ही रहती है। उनमें से कुछ जनजाती ''चारागाह युग'' का स्मरण करती है। जैसे बनजारे जो पालतू पशुओं को साथ लेकर देश विदेशो में भ्रमण करते है।।

मध्यप्रदेश में 53 अनुसूचित जनजातियों को 90–91 में स्वीकार किया गया है। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मुख्यता गोंड, कोरकू, जनजातियां सबसे अधिक है। प्रदेश के उत्तरी भाग को छोडकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा बालाघाट और बस्तर के क्षेत्र में प्रमुख है इनमें आधे से अधिक जनजातियों में गोंड लोगों कि जनसंख्या पायी जाती है। यह जनजाती प्रकृति के कोरव में किसी पहाडी या नदी पर रहना पसंद करती है। यह जनजाती सडक से दूर जंगलो में दूर बसे रहते है। प्रकृतिक जीवन उनका आदर्श जीवन है।

अनुसूचित जनजातियों कि विशेषताएँ निम्नलिखित है

- आदिवासी अनेक परिवारों या परिवारों समूह का संकलन है।
- इनका एक सामान्य नाम होता है।
- यह निश्चित भूभाग पर निवास करते है।
- जनजाती कि अपनी एक सामान्य भाषा होती है।

  जिससे विचारों का आदान प्रदान और पारंपरिक एकता हो सकती है।

– आदिवासी समुदाय के सदस्यों में पारंपरिक आदान प्रदान में कुछ सामान्य नियम और निषेन्ध होते है।

अनु जनजाती मध्यप्रदेश के विशाल जन समुदाय की एक इकाई है। इसका सामाजिक एवं परिवारिक जीवन स्तर पर निम्न कोटो का है।

2.2 अध्ययन कि आवश्यकता '

भारत का इतिहास बताता है कि यहां कि अनुसूचित जनजातियां शैक्षिक दृष्टी से पिछडी हि नहीं अपितू वंचित रही है। विभिन्न जाती समूह की उपलब्धी भारतीय इतिहास एवं समाज कि प्रमुख विशेषता है। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाती वर्गो कि उन्नती के लिए नितीयां अपनायी गयी हे। अपनाई गयी नितीयों में क्या परिणाम है। वर्तमान में भी आदिवासी शिक्षा में क्यों कमी है। उसका प्रतिशत क्या है। जनजातीयों में सस्थागत शिक्षा का विकास उस रूप में क्यों नहीं हो पाया जैसे कि अन्य समाज में पाया जाता है। आदि प्रश्नों के उत्तर केवल अनुसंधान विधि से ही मिल सकते है। वर्तमान में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास इस अनुसंधान के दौरान किया गया है।

मध्यप्रदेश क्षेत्र के दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जो सदियों से निरन्तर तथा अविकसित रहा है। आदिवासियों को संविधान ने तो संरक्षण दिया उनके सामाजिक आर्थिक राजनेतिक उन्नयन के लिए विशेष सुविधायें प्रदान कियी गया है। उनके शिक्षा के विकास के लिए नयी शिक्षा निती अपनाने कि आवश्यकता है शिक्षा के विस्तार से विकास का वातावरण बनता है । हर व्यक्ति विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता है।

सरकार द्वारा दिया गया सुविधा के बावजूद इन जातियों का विकास क्यों नहीं हुआ जैसे अनु.जनजाती के छात्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धता कम होने का क्या कारण है। क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति का और

शैक्षिक उपलब्धी का इस पर प्रभाव पडता है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए शोधकर्ता को इस विषय के अध्ययन कि आवश्यकता उत्पन्न हुई।

2.3 समस्या का कथन –

विषय : प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जनजाती के छात्र–छात्राओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धी एवं शैक्षिक समस्या तथा प्राथमिक शालाओं में प्राप्त सुविधा का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

2.4 अध्ययन के उद्देश्य

1. अनुसूचित जनजाती के विधार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिती एवं शैक्षिक उपलब्धी के सहसंबंध का अध्ययन करना ।
2. अनुसूचित जनजाती के उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धी के सहसंबंध का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जनजाती के मध्यम सामाजिक आर्थिक के विद्याथ्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति शैक्षिक उपलब्धी के सहसंबंध अध्ययन करना
4. अनुसूचित जनजाती निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धी के सहसंबंध का अध्ययन करना।
5. अनुसूचित जनजाती के छात्र–छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति का शैक्षिक उपलब्धी पर होने वाले सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।
6. अनुसूचित जनजाती के छात्र छात्राओं के शैक्षिक समस्या, तथा प्राप्त सुविधा का अध्ययन करना।
7. अनुसूचित जनजाती के छात्र छात्राओं के शिक्षक की समस्या का अध्ययन करना।

2.5 परिकल्पना –

1. अनुसूचित जनजाती के विधार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धी में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
2. अनुसूचित जनजाती के छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धी में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
3. अनुसूचित जनजाती के छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्थिती तथा शैक्षिक उपलब्धी में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं हे।
4. अनुसूचित जनजाती के उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के विधार्थी के सामाजिक आर्थिक स्थिती तथा शैक्षिक उपलब्धी में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
5. अनुसूचित जनजाती के मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति के विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धी मे कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
6. अनुसुचित जनजाती के निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के तथा शैक्षिक उपलब्धी में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
7. अनुसूचित जनजाती छात्र–छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्थिती का शैक्षिक उपलब्धी पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।
8. अनुसूचित जनजाती के छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिती का शैक्षिक उपलब्धी पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
9. अनुसूचित जनजाती के छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्थिती का शैक्षिक उपलब्धी पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
10. अनुसुचित जनजाती के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धी में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2.7 क्षेत्रीय परिसिमन

- प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसूचित जनजाती के छात्र–छात्राओं को लिया गया है।
- प्रस्तुत शोध कार्य कक्षा 6वीं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं पर किया गया है।
- शोध के अंतर्गत मुलताई क्षेत्र के नैऊ विद्यालयों का अध्ययन किया है। अध्ययन के लिए 105 अनुसूचित जनजाती के विद्यार्थी का चयन किया गया है इसमे 53 छात्र तथा 52 छात्रायें शामिल है।

इस शोध कार्य के लिए बैतूल जिले के 'मुलताई' विकास खण्ड का चयन किया गया है। इस शोध कार्य में निम्नलिखित विद्यालय सम्मिलित है।

1. शासकीय माध्यमिक शाला सिपावा,मुलताई
2. शासकीय माध्यमिक शाला पाटाखेड़ा, मुलताई
3. शासकीय माध्यमिक शाला सेमझिरा , मुलताई
4. शासकीय माध्यमिक शाला घाटपिपरिया , मुलताई
5. शासकीय माध्यमिक शाला हरदू मुलताई
6. शासकीय माध्यमिक शाला बोथिया , मुलताई
7. शासकीय माध्यमिक शाला सर्रई मुलताई
8. शासकीय माध्यमिक शाला साबड़ी मुलताई
9. शासकीय माध्यमिक शाला दूनावा , मुलताई

LIBRARY Bhopal